IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत–पाकिस्तान संबंध, ऐतिहासिक और राजनैतिक : एक समीक्षा

डॉ0 विजय कुमार

एमú एú, पी–एचú डीú, एमú फिलú,

राजनीति विज्ञान,

बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सार–संक्षेप :

भारत और पाकिस्तान संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक रहा है। भारत ने अनेक बार पाकिस्तान को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान की स्वतन्त्राता और अखण्डता को भारत की ओर से कोई खतरा नहीं है। भारत बल प्रयोग किए बिना विवादों का शांतिपूर्ण समाधन चाहता है, फिर भी पाकिस्तान के नीति भारत के विरूद्ध शत्रुता का प्रचार करने की रही है। पाकिस्तान के नेताओं और सामाचार पत्रों ने यह गलत धरणा फैलाने का काम किया है कि भारत ने पाकिस्तान की स्थापना को कभी भी स्वीकार नहीं किया और वह उसको समाप्त कर देना चाहता है। भारत की विदेश नीति के अनुसार जम्मू–कश्मीर के संबंध में विवाद केवल इतना है कि उस राज्य का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में है जो कि भारत को वापस मिलना चाहिए। भारत कभी भी कश्मीर को हड़पना नहीं चाहता था। यदि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में कोई भी निर्णय ले लेते चाहे वह पाकिस्तान में विलय का ही निर्णय क्यों न होता तो यह समस्या उत्पन्न ही न होती। यहाँ तक कि सरदार पटेल भी इस बात के बहुत इच्छूक नहीं थे कि मुस्लिम बहुल वाला कश्मीर अवश्य ही भारत का अंग बने। इसलिए पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत कश्मीर को हड़पना चाहता हैं निराधर है। कश्मीर के महाराज ने भारत में विलय की प्रार्थना उस समय की जब कबायली आक्रमण हो चुका था, भारत ने विलय की स्वीकृति उस समय दी जब आक्रमण करने वाले श्रीनगर के निकट आ गए थे। महाराजा हरि सिंह ने केंन्द्र के प्रतिनिधि वीúपीú मेनन से प्रार्थना की, कि भारतीय सेनाएँ तुरन्त भेजी जाए वरना उन्हें पाकिस्तान की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत ने अपनी सेनाएँ उस समय भेजी जब विलय की औपचारिकता पूरी हो गई। हमने उपर कहा है कि राज्य की संविधन सभा ने 1954 में विलय का अनुमोदन कर दिया। भारत सरकार ने पहली गलती यह की विलय की शर्त के रूप में जनमत संग्रह का प्रस्ताव कर दिया।

शब्द कुंजी : भारत और पाकिस्तान, श्रीनगर, भारत की विदेश नीति, मुस्लिम बहुल वाला कश्मीर, विभाजन

भूमिका

भारत और पाकिस्तान संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक की वजह से तनाव में रहा है। इन देशों में इस रिश्ते की मूल वजह भारत के विभाजन के रूप में देखा जाता है। इनके बीच एक बहुत ही प्रमुख समस्या कश्मीर की है, जो 1947 से आज तक अकारण उलझाएँ हुए है। इन दोनों देशों में कई बार विवाद हुआ। यहाँ तक कि सैनिक कारवाई भी करनी पड़ी, जब कि दोनों देश एक दूसरे से ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। फिर भी पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आतंकी आक्रमण कराये जाते रहें हैं जो जग–जाहिर है। भारत ने सभी देशों के साथ शांति और मित्रता के संबंधें की अपेक्षा की है। परन्तु पाकिस्तान के नेताओं ने बराबर कहा कि उन्हें भारत की ओर से खतरा है, और भारत पाकिस्तान को हड़पना

चाहता है। भारत ने अनेक बार पाकिस्तान को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान की स्वतन्त्राता और अखण्डता को भारत की ओर से कोई खतरा नहीं है। भारत बल प्रयोग किए बिना विवादों का शांतिपूर्ण समाधन चाहता है, फिर भी पाकिस्तान के नीति भारत के विरूद्ध शत्रुता का प्रचार करने की रही है। पाकिस्तान के नेताओं और सामाचार पत्रों ने यह गलत धरणा फैलाने का काम किया है कि भारत ने पाकिस्तान की स्थापना को कभी भी स्वीकार नहीं किया और वह उसको समाप्त कर देना चाहता है। इस गलत प्रचार का परिणाम यह है कि भारत के लाख चाहने पर भी पाकिस्तान ने पिछले पचास वर्षो से शत्रुता की भाषा नहीं छोड़ी।

पाकिस्ताान की विदेश नीति निरन्तर भारत का विरोध करने और सभी समस्याओं के लिए हिन्दू सम्प्रदाय को दोषी ठहराने की रही है। जुल्फिलार अली भुटटों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सात सौ वर्षो तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुसलमानों ने शासन किया। इसलिए जब 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में अपना अलग राज्य मिला तो हिन्दू जनता बौखला उठी। पाकिस्तान हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती था, जिसका भारत भी सामना नहीं कर सकता। पाकिस्तान का भारत विरोध विचार सदा ही साम्प्रदायिक रंग में रंगा होता है। भारत को धर्म निरपेक्षता में पूरा विश्वास है। पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रचार के बावजूद भारत के लोगों ने साम्प्रदायिक सदभावना बना रखी है। क्योंकि भारत एक हिन्दू राष्ट्र नहीं है। भारत सभी धर्मो को एक समान स्वतंत्राता देता है इसलिए पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधर है।

जम्मू और कश्मीर तीसरा राज्य था जिसके विलय को लेकर गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई थी स्वतन्त्रा के 68 वर्ष बाद भी यह समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनी रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन और कबायलियों के आक्रमण से कुछ ही समय पूर्व पाकिस्तान ने महाराजा से उनकी रियासत को पाकिस्तान में विलय करने के लिए अंतिम प्रयास किया था। परन्तु महाराज ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से इनकार कर दिया, इसके तुरन्त बाद 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कई ओर से आक्रमण शुरू हो गए। पाकिस्तान के सीमान्त प्राप्त के ये कबायली अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और पाँच ही दिनों में श्रीनगर से केवल पच्चीस मील दूर बारामूला तक पहुँचा गए। आक्रमण शुरू होने के बाद घबराए हुए महाराजा हड्डि सिंह ने भारत में तुरन्त विलय की प्रार्थना की। तत्कालीन भारत सरकार ने कश्मीर की विलय स्वीकार करके तुरन्त सेनाएँ भेजने के लिए आदेश दिए ताकि आक्रमण करने वालों को भगाया जा सके। भारत आक्रमण का सामना करने के लिए सेना को हवाई जहाज के द्वारा कश्मीर भेज दिया। विलय की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भारत ने यह कहा कि आक्रमणकारियों को खदेड़ देने के बाद विलय राज्य की जनता की इच्छा से की जायेगी। पाकिस्तान के भारत में कश्मीर के विलय को कभी स्वीकार नहीं लिया।

भारतीय सेना ने तेजी से मुकाबला करते हुए आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, परन्तु कबायालियों को पाकिस्तान से प्राप्त हो रही सहायता के कारण भारतीय सेना की कुछ रूकावटे आई। भारत पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध नहीं चाहता था। 1 जनवरी 1948 को भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया। उसने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कश्मीर को खाली कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहायता माँगी। भारत ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने उसके विरूद्ध आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने भारत के आरोप को गलत बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैध था। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच कभी समाप्त न होने वाला संघर्ष आरंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने जाँच पड़ताल की तथा भारत पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बातचीत की और 11 दिसम्बर 1998 को अपनी रिर्पोट पेश की। इसमे शांति बहाल करने के लिए और जनमत संग्रह कराने के लिए कुछ प्रस्ताव दिये गये। युद्ध विराम के बाद जितना शीध्र हो पाकिस्तान कश्मीर से अपना सेना वापिस बुला लेगा पाकिस्तानी नागरिकों को काश्मीर से बुलाने का प्रयास भी करेगा, और आयोग इसकी सूचना भारत को देगा तब भारत भी अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में वापस बुला लेगा। अन्त में समझौता होने तक भारत कानून और व्यस्था बनाए रखने के लिए सीमित संख्या में सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात करेगा।

भारत की विदेश नीति के अनुसार जम्मू–कश्मीर के संबंध में विवाद केवल इतना है कि उस राज्य का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में है जो कि भारत को वापस मिलना चाहिए। भारत कभी भी कश्मीर को हड़पना नहीं चाहता था। यदि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में कोई भी निर्णय ले लेते चाहे वह पाकिस्तान में विलय का ही निर्णय क्यों न होता तो यह समस्या उत्पन्न ही न होती। यहाँ तक कि सरदार पटेल भी इस बात के बहुत इच्छूक नहीं थे कि मुस्लिम बहुल वाला कश्मीर अवश्य ही भारत का अंग बने। इसलिए पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत कश्मीर को हड़पना चाहता हैं निराधर है। कश्मीर के महाराज ने भारत में विलय की प्रार्थना उस समय की जब कबायली आक्रमण हो चुका था, भारत ने विलय की स्वीकृति उस समय दी जब आक्रमण करने वाले श्रीनगर के निकट आ गए थे। महाराजा हरि सिंह ने केंन्द्र के प्रतिनिधि वीúपीú मेनन से प्रार्थना की, कि भारतीय सेनाएँ तुरन्त भेजी जाए वरना उन्हें पाकिस्तान की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत ने अपनी सेनाएँ उस समय भेजी जब विलय की औपचारिकता पूरी हो गई। हमने उपर कहा है कि राज्य की संविधन सभा ने 1954 में विलय का अनुमोदन कर दिया। भारत सरकार ने पहली गलती यह की विलय की शर्त के रूप में जनमत संग्रह का प्रस्ताव कर दिया। हमारी सरकार की दूसरी गलती यह थी कि जब हमारे जवान शत्रु को पराजित करने वाले ही थे, उस समय हमने युद्ध विराम मान लिया और कश्मीर का लगभग तीस हजार वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर के रूप में रह गया। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गठबन्धनों में शामिल होने का निर्णय किया। पाकिस्तान को शायद यह आशा ही नहीं थी कि कबायली आक्रमण के बाद भारत कश्मीर की सहायता के लिए पहुँच जाएगा। पाकिस्तान की अपेक्षा थी कि आक्रमण होते ही कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा।

जब 1953 में केन्द्र सरकार को शेख अब्दुला की नीयत पर शंका होने लगी तो उन्हें कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। उस समय अचानक पाकिस्तान ने शेख–अब्दुल्ला के प्रति हमदर्दी दिखानी शुरू की कश्मीर की समस्या 68 वर्ष से विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और भारत–पाकिस्तान संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने कश्मीर समस्या के सुलझाने के लिए समय–समय पर सुझाव दिए। बीúपीú दत्त के मत में पाकिस्तान के लिए मूल–प्रश्न यह है कि धर्म के आधार पर कश्मीर पाकिस्तान का भाग होना चाहिए, जो स्वयं एक इस्लामी राष्ट्र है, परन्तु भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसकी धर्म–निरपेक्षता पर कोई आँच न आए। कश्मीर भारत की धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है। भारत तो केवल आक्रमण समाप्त करवाना चाहता था। उन्होंने कहा कि धर्म–निरपेक्ष भारत में इस्लाम कई धर्मो में से एक है। केवल इसलिए कि कश्मीर राज्य में मुसलमान बहुसंख्यंक है, यह राज्य पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान 1997 के शुरू में भी कश्मीर को भारत–पाकिस्तान संबंधों का मूल प्रश्न कह रहा था। साथ ही अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया था कि उसके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियारों का प्रयोग भारत के विरूद्ध नहीं किया जाएगा, परन्तु व्यवहार में पाकिस्तान मे इन हथियारों का प्रयोग 1965 और 1971 में केवल भारत के विरूद्ध ही किया। भारत ने अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा तो कश्मीर समस्या और ही उलझ जाएगी। अमेरिका ने भारत की आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य भारत के विरूद्ध नफरत का प्रचार करना और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करवाना ही रहा है। पाकिस्तान विश्व राजनीति के मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए ही कश्मीर की मुददा को बार–बार उछालता रहा है। कोई देश कहाँ तक कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का साथ देता है। अर्थात पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। एक समय पर पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों को साम्यवाद का डर दिखाकर यहाँ तक कह दिया कि वह स्वंय साम्यवादी गुट में शमिल हो जाएगा। उसने यह प्रचार किया कि यदि कश्मीर समस्या का उचित समाधान नही हुआ तो कश्मीर में और सारे भारत में साम्यवाद छा जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खाँ ने मार्च 1958 में अपनी संसद में बोलते हुए कहा था कि नेहरू कश्मीर समस्या को उलझाए रखकर पूरे उप–महाद्वीप को उपहार के रूप में साम्यवाद को भेट कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि यदि कश्मीर की समस्या का समाधान वहाँ की जनता कि इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो इसका एक ही परिणाम होगा कि कश्मीर साम्यवादी गुट में चला जाएगा।

विदेश–नीति में पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य था कि भारत को नीचा दिखाया जाए। अतः जब भारत ने इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की चेष्टा की, तो पाकिस्तान ने विदेशी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन दिया। भारत को कमजोर रखने के किए पाकिस्तान ने पहले एक महाशक्ति के साथ गठबंधन किया, फिर दुसरी शक्ति से मित्राता करनी चाही, फिर वही तीसरी शक्ति के साथ हो गया। पाकिस्तान ने उस अमरीकी सैनिक गुट का साथ दिया जो साम्यवाद के विरोध से बनाया गया था और अमेरिका से तीस करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे। इनमें आधुनिक लड़ाकू हवाई जहाज, उत्तम टैक इत्यादि शामिल थे। जब इसकी सहायता से पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिला तब उसने चीन के साथ मित्रता की और चीन ने उसे आर्थिक और सैनिक सहायता के रूप में इनाम दिया। पाकिस्तान ने सोवियत संघ को भी यह कहकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया कि यदि रूस भारत को समझा ले तो पाकिस्तान स्वयं सोवियत संघ के साथ मित्रता कर लेगा।

जब पाकिस्तान को यह विश्वास हो गया कि भारत उसके सामने झुकने वाला नही था और उप–महाद्वीप में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में हो गया था, तब पाकिस्तान ने अमरीकी सैनिक संधियों में शामिल होकर बनावटी शान्ति प्राप्त करने की चेष्टा की। जब 1960 के दशक में पाकिस्तान ने यह अनुभव किया कि केवल सैनिक संधियों से उसका हित पूरा नही होगा तब उसने सोवियत संघ के प्रति मित्रता का हाथ बटाया। परन्तु पाकिस्तान से गलती यह हुई कि उसने भारत को सोवियत संघ से अलग करने का प्रयास किया, उसे सफलता नही मिली। इस स्थिति में पाकिस्तान ने साम्यवादी चीन के साथ मित्रता की। उस समय भारत और चीन के संबंध काफी बिगड़ चुके थे। इसलिए जब पाकिस्तान ने चीन के साथ मित्रता करनी चाही तब चीन में इस अवसर को अपने हाथ से जाने नही दिया। पहले चीन कश्मीर के प्रश्न पर भारत विरोधी नहीं था, परन्तु अब उसने पाकिस्तान के पक्ष में बोलना शुरू कर के भारत पर दबाव डालना शुरू किया।

1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब पाकिस्तान ने अपने नए मित्र को पूरा समर्थन प्रदान किया। जब ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को सहायता की पेशकश की तब पाकिस्तान ने खुल कर इसका विरोध किया। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को न केवल पश्चिम देशों से बल्कि सोवियत संघ से भी नौतिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई। इससे परेशान होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ ने राष्ट्रपति कैनडी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भारत को सहायता न देने का आग्रह किया। अयूब ने नबम्बर 1962 में एक पत्र में यह कहा कि उपमहाद्वीप की गम्भीर हालत के लिए नेहरू की विदेश नीति उत्तरदायी थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि नेहरू की विदेश–नीति प्रमुख मुददों की ओर संकेत करती थी।

(1) साम्यवादियों का तुष्ट्रीकरण

(2) गुट–निरपेक्षता का झंडा उठाना ताकि समाजवादी देशों को प्रसन्न किया जाए और गैर–साम्यवादियों को उलझन में डाल दिया जाए,

(3) पाकिस्तान को धमकी देकर उसे राजनीति तौर पर अलग–अलग करके आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाय,

(4) पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका की आलोचना की जाय चाहे उसका कोई कारण न ही हो।

पाकिस्तान के इस रवैया के बावजुद नेहरू ने अयुब खाँ से भेंट की और एक संयुक्त **वक्तत्य** में दोनों नेताओ ने भारत पाक विवादों को शांति पूर्वक सुलझाने के लिए बातचीन करने का निर्णय किया। इसके पश्चात मंत्रिस्तर की दो बैठक हुई और फिर मार्च 1963 में लोकतांत्रिक स्तर की दो बैठक हुई और फिर मार्च 1963 में कलकता में शिखर सम्मेलन हुआ। इससे पूर्व

पाकिस्तान और चीन ने एक समझौता किया, जिसके अनुसार कश्मीर का कुछ भाग जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में था, चीन को दे दिया गया। ऐसा करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नही था। फिर भी उसने चीन से मित्रता बढ़ाने के लिए काश्मीर का एक भाग उसको दे दिया

नेशनल कॉन्फ्रेंफस के नेता शेख अब्दुल्ला, जिनकों 1953 से नजरबन्द कर रखा गया था, 1964 में रिहा कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के शेष भाग के साथ मजबूत संबंध रखने की बुनियाद रखी थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और कश्मीर के लोगों के लिए आत्म–निर्णय के अधिकार की माँग शुरू की। पाकिस्तान ने उनका खुल कर समर्थन किया। उन्होंने नेहरू से भेंट की और फिर अयूब खाँ से मिलने पाकिस्तान गए। उनका तर्क था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो जाते तब तक कश्मीर की समस्या का समाधान नही हो सकता। उसके तुरन्त बाद नेहरू की मुत्यु हो गई और अब्दुल्ला के प्रयास का कोई परिणाम नही निकला।

पुनः कच्छ जो गुजरात सिन्ध सीमा पर स्थित है यह कच्छ नायक देशी राज्य का भाग था और जब कच्छ का भारत में विलय हुआ तो यह भारत का अंग बन गया। परन्तु पाकिस्तान ने स्थिति को कभी स्वीकार नही किया। पाकिस्तान ने कहा कि 3500 वर्ग मील का क्षेत्र वास्तव में सिन्ध प्राप्त का भाग था और उसे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भारत ने यह दावा स्वीकार नही किया। अप्रैल 1965 में भारत–पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में मुट–भेड़ हुई। पाकिस्तान की सेना की दो डिवीजन कच्छ के क्षेत्र में आ गयी। भारत ने इस इस प्रकार की आक्रमण कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की थी। जून के अंत तक लड़ाई होती रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बिलसन के प्रयासों के बाद युद्ध विराम हुआ और यह तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएँ 1 जनवरी 1965 की स्थिति में वापस चली जाएँ। यह भी तय हुआ कि कच्छ के रन की समस्या पंच–निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को सौंप दी जाए। न्यायधिकरण का निर्णय 1968 में हुआ। न्यायाधिकरण ने कच्छ के रन का लगभग 90 प्रतिशत प्रदेश भारत में रहने दिया और शेष 300 वर्ग मील पाकिस्तान को सौप दिया। इस पंच निर्णय की भारत में कठोर आलोचना हुई परन्तु 1965 में दिए वचन के अनुसार भारत ने यह फैसला स्वीकार कर लिया। कच्छ पर हुए आक्रमण के समय पाकिस्तान ने खुद उन अस्त्रों का प्रयोग किया जो उसे दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन प्राप्त हुए थें। जब पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए बाध्य किया गया और पंच निर्णय के लिए मासला भेजा गया तब पाकिस्तान को काफी निराशा हुई और अब उसने कश्मीर को अपना निशाना बनाया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1965 में जो युद्ध हुआ उसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत प्रत्येक दृष्ट्रि से पाकिस्तान से श्रेष्ठ था। कच्छ के संकट के समय सोवियत संघ ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया था परन्तु इस युद्ध में आम–तौर पर सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर था, फिर भी सोवियत प्रधानमंत्री उस समय पाकिस्तान को भी खुश करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अयूब खाँ को सोवियत संघ की यात्रा पर बुलाया था और मित्रता का प्रयास किया था। कोसीगिन ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष का मूल कारण हथियारों को आपूर्ति नहीं थी, वरन पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीति, जिसमें संघर्ष जारी रखो हुआ था। पाकिस्तान सोवियत वार्ता से भारत के नेतागन स्वाभाविक रूप से परेशान हुए। इस समय सोवियत संघ का दृष्टिकोण पाकिस्तान के साथ मैत्री करने का था और वह पाकिस्तान को हथियार देने की बात भी सोच रहा था। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने सोवियत संघ की यात्रा की। उन्होंने सोवियत नेताओं को दक्षिण एशिया की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और भारत को सोवियत संघ द्वारा मिलने वाली सहायता को जारी रखने की प्रार्थना की। परन्तु सोवियत नेताओं ने शास्त्री को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ के संबंध मधुर होने से भारत के साथ उसकी मैत्री में कोई कभी नहीं आएगी। भारत की मास्को यात्रा अधिक सफल नहीं हुई। उसी समय पाकिस्तान ने शांति भंग करने और भारत के विरूद्ध युद्ध आरम्भ करने की योजना बनाई।

पाकिस्तान ने कश्मीर में 4 अगस्त 1965 से हजारों सैनिकों को बिना शर्त के युद्ध विराम रेखा के पास, कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। ये धुसपैठिए चीन में गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किए गए थे। वे भारत में हिंसा फैलाने, तोड़–फोड़ करने और राज्य की सरकार को उखाड़ फेकने के लिए भेजे गए थे। योजना यह थी कि जब पाकिस्तान के सैनिक वर्दी में आकरण करेगें

तो ये घुसपैठिए उस की सहायता के लिए उपस्थित रहेगें। उन्होंने कश्मीर की स्वतंत्राता का युद्ध शुरू करना था। जैसे ही धुसपैठिए कश्मीर में पहुँचे, पाकिस्तान रेडियों ने यह घोषणा की कश्मीर के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, श्रीनगर रेडियो स्टेशन और हवाई अड्डा मुजाहिइदीनों के नियंत्रण में आ गए है और श्रीनगर का पतन होने वाला था। यह सब सफेद झूठ या सिवाय इसके कि घुसपैठियों ने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया था। शीध्र ही भारतीय सेना ने उनके विरूद्ध कार्यवाही शुरू की और बड़ी संख्या में उन्हें मार दिया गया या पकड़ लिया गया। सेना ने यह पता लगाया लिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस पैठियों के अड्डे कहाँ पर थे। भारत ने उन्हें अपने कब्जे में करने का निर्णय किया। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक कागिंल सेक्टर में तीन पाकिस्तान अड्डों को छीन लिया गया। फिर पाकिस्तान सेना ने उड़ी–पूंछ सेक्टयर में हाजीपीर पर भी अधिकार कर लिया। इसने पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के सारे रास्ते बन्द कर दिया इस सब की सूचना कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निम्मों ने महासचिव को दी। जब भारत ने महासचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पाकिस्तान घुसपौठियों को कश्मीर से बाहर निकाला जाए तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जी. भुटटों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान सरकार का घुसपैठियों से कोई भी संबंध है।

जब पाकिस्तान की योजना पूरी तरह विफल हो गई तब 1 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस बार पाकिस्तान की सेना ने न केवल युद्ध विराम रेखा का बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का भी उल्लंघन करके युद्ध शुरू किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान की सेना और घुसपैठिए बाहर नहीं निकलते शांति सम्भव नही थी। भारत को यह पता लगा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है उस समय भारत ने 5 सितम्बर 1965 को पश्चिम पंजाब के तीन सैकड़ों पर जबाबी हमला किया। भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ रही थी। इस बीच पाकिस्तान हवाई सेना ने अमृतसर पर बमबारी करके एक नया अध्याय खोला। परिणाम स्वरूप भारत की वायुसेना ने भी थल सेना की सहायता के लिए कार्यवाही शुरू की। युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद निरंतर इस समस्या पर विचार करती रही। कई सुझाव दिए गए, प्रस्ताव पारित किए गए और महासचिव ने पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की ये शर्ते रखी थी कि समस्त कश्मीर से भारत और पाकिस्तान की सभी सेनाओं को वापस बुलाया जाए, एशिया, अफ्रीका के देशों से गठित एक शान्ति सेना को कश्मीर भेजा जाए जो वहाँ जनमत संग्रह होने तक रहे, तथा तीन महीने के भीतर जनमत संग्रह करवाया जाए। भारत ने इन तीनों शर्तों को अस्वीकार कर दिया। भारत के प्रतिनिध एमúसीú चागला ने सुरक्षा परिषद से प्रार्थना की वह पहले यह तय करें कि आक्रमक कौन था। उन्होंने याद दिलाया कि स्वंय संयुक्त राष्ट्र के प्रवेक्षकों ने यह बताया था कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में आ गए थे। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को पुरे समर्थन का वचन दिया और भारत को यह चेतावनी दी कि वह तिब्बत सिक्किय सीमा पर अपने सैनिक अड्डे बन्द कर दे। इस चेतावनी का मतलब केवल पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा और भारत ने सुरक्षा परिषद में जनमत संग्रह की प्रार्थना को ठुकारा दिया और कहा कि कश्मीर की संविधन सभा विलय का अंतिम अनुमोदन कर चुकी है।

सुरक्षा परिषद ने 20 सितम्बर 1965 को भारत और पाकिस्तान से युद्ध विराम करने और अपनी –अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 की स्थिति में वापिस लाने के लिए कहा। प्रस्ताव पास होने के समय पाकिस्तान सेना पर भारतीय जवान हावी हो रहे थे। इसलिए पाकिस्तान ने 23 सितम्बर 1965 प्राप्तः 3 बजकर 10 मिनट से युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजय के कगार पर ला खड़ा कर दिया। परन्तु भारत के जवान और आम जनता दोनों ही इस बात से अप्रसन्न थे कि जब भारतीय सेना लाहौर और सियाल कोट क्षेत्रों में विजय की ओर बढ़ रही थी उस समय भारत को युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार पाकिस्तान बुरी तरह हारने से बच गया। भारत ने पाकिस्तान का लगभग 750 वर्ग मील क्षेत्र छीन लिया था परन्तु सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के सुझाव पर हुए ताशकन्द समझौता से उसे जीती हुई वापस करनी पड़ी इस समझौता पर हस्ताक्षर करते ही ताशकन्द में युद्ध के महान नायक लाल बहादूर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ऐसे में शास्त्री जी ने यह आशा व्यक्त की थी भविष्य में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरूद्ध बल प्रयोग

नहीं करेगें उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि भारत पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता को पूरी तरह स्वीकार करता था ।

संदर्भ ग्रंथ–

[1] अन्तर्राष्ट्रीय संबंध , बीú एलú फारिया।
[2] प्रतियोगिता दर्पण।
[3] योजना
[4] तापमान
[5] कुरूक्षेत्र
[6] दैनिक सामाचार पत्र